

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2010—माघ 2, शक 1931

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निवार्चन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग का प्रभार सौंपा गया था।

(2) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती विजया श्रीवास्तव के स्थान पर डॉ. देवराज बिरदी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग का चालू कार्यभार श्री मोहन्नी के उक्त अवकाश अवधि में सौंपा जाता है।

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2009 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-456-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्रीमती विजया श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग को दिनांक 18 से 22 जनवरी 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती विजया श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्रीमती मधु हाण्डा, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग का चालू प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती विजया श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(4) श्रीमती विजया श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती मधु हाण्डा, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग के चालू प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती विजया श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती विजया श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहती।

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2010

क्र. ई-1-9-2010-5-एक.—अवकाश से लौटने पर श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे. (1992) की सेवाएं ऊर्जा विभाग को अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं।

(2) उपरोक्तानुसार श्री पंकज अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे. (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. 197-7302-09-आईएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अर्जीत केसरी, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं प्रभारी सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य

नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-5-570-आयएएस-लीब-एक-5, दिनांक 22 दिसम्बर 2009 द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2009 से दिनांक 2 जनवरी 2010 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) श्री अर्जीत केसरी, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं प्रभारी, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 31 दिसम्बर 2009 तथा 1 जनवरी 2010 का दो दिन का ऐच्छिक अवकाश एवं दिनांक 2 जनवरी 2010 को एक दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्र. ई-5-667-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री पी.के. पाराशर, आयएएस., कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर को दिनांक 18 से 25 जनवरी 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री पी. के. पाराशर, की अवकाश की अवधि में श्री हरिरंजन राव, आयएएस., कलेक्टर, जिला जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर का चालू कार्यभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी.के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(4) श्री पी.के. पाराशर द्वारा कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव, कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पी.के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी.के. पाराशर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश साहनी, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2010

क्र. ई-1-10-2010-5-एक.—डॉ. ए.एन. अस्थाना, भाप्रसे (1976) द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 21 जनवरी 2010 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है तथा ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

के लिए 3 माह के पूर्व नोटिस देने की शर्त शिथिल करने का अनुरोध राज्य शासन से किया गया है।

(2) और, चूंकि, राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नियम, 1958 के नियम, 16(2) के तहत डॉ. ए.एन. अस्थाना, भाप्रसे (म.प्र. : 1976) को भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 21 जनवरी, 2010 अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति दी जाए तथा उक्त नियमों के नियम 16(2) के परन्तुक के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित 3 माह के पूर्व नोटिस की शर्त को शिथिल करता है।

(3) अतः राज्य शासन अखिल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नियम, 1958 के नियम 16(2) के तहत डॉ. ए.एन. अस्थाना, भाप्रसे (म.प्र. : 1976) को भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 21 जनवरी, 2010, अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति प्रदान करता है तथा उक्त नियमों के नियम 16(2) के परन्तुक के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित 3 माह के पूर्व नोटिस की शर्त को भी एतद्वारा, शिथिल करता है। तदनुसार डॉ. ए.एन. अस्थाना, भाप्रसे (म.प्र. : 1976), भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 21 जनवरी, 2010 (अपराह्न) से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्ति होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका उपाध्याय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2010

क्र. एफ 3-1-2009-एक-4.—राज्य शासन नवगठित नगर पंचायत, शमशाबाद, जिला विदिशा के प्रथम आम निवाचन एवं नगर पंचायत, सर्ट, जिला-छतरपुर के अध्यक्ष पद के निवाचन हेतु मतदान दिनांक 11 जनवरी 2010 सोमवार को संबंधित क्षेत्र के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता है। यह स्थानीय अवकाश इस वर्ष के लिये जिलाध्यक्ष, जिला-विदिशा एवं छतरपुर द्वारा घोषित स्थानीय अवकाशों के अतिरिक्त होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. साहू, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. ई-5-812-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री जी. पी. कबीरपंथी, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 23 नवम्बर से 8 दिसम्बर 2009

तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. कबीरपंथी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री जी. पी. कबीरपंथी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. कबीरपंथी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. ई-5-564-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर को दिनांक 7 से 23 दिसम्बर 2009 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-864-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री विशेष गढपाले, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला पन्ना को दिनांक 20 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2009 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 नवम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विशेष गढपाले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विशेष गढपाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2010

क्र. ई-5-800-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती मधु खेरे, आयएएस., तत्कालीन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 5 से 20 नवम्बर 2009 तक, सौलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खेरे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खेरे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-803-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री के.के. खेरे, आयएएस., कलेक्टर, जिला मण्डला को निम्नानुसार अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है :—

- (i) दिनांक 5 से 7 नवम्बर 2009 तक, तीन दिन
- (ii) दिनांक 16 से 18 नवम्बर 2009 तक, तीन दिन

(2) अवकाशकाल में के. के. खेरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खेरे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-861-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) सुश्री के. वासुकी, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 30 नवम्बर से 18 दिसम्बर 2009 तक, उनीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28, 29 नवम्बर 2009 एवं दिनांक 19, 20 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री के. वासुकी, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सहायक कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री के. वासुकी, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री के. वासुकी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2010

क्र. ई-5-457-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस., प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ, मध्यप्रदेश भोपाल

को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2009 द्वारा दिनांक 14 से 31 दिसम्बर 2009 तक, अठारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 से 26 दिसम्बर 2009 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 एवं 28 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2009 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2010

क्र. ई-5-777-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार शिवहरे, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), ग्वालियर/चम्बल संभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 सितम्बर, 2009 द्वारा दिनांक 16 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2009 तक, स्वीकृत अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 16 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2009 तक, कुल चौबीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 सितम्बर, 2009 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षी. एस. सावनेर, अवर सचिव,

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2009

क्र. एफ-16-34-2009-ई-चार.—राज्य शासन निम्नलिखित उप कोषालयों का उन्नयन दिनांक 17 मई, 2008 से जिला कोषालय की श्रेणी में करने की स्वीकृति प्रदान करता है :—

1. अलीराजपुर
2. सिंगरौली।

No. F-16-34-2009-E-IV.—The State Government of Madhya Pradesh are pleased to upgrade the following Sub-treasuries to District Treasury w.e.f. 17th May, 2008:—

1. Alirajpur
2. Singrauli.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, सचिव।

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. एफ-२-२-२००५-ई-चार.—इस विभाग के समसंबंधिक आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 7(5) के अंतर्गत मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर द्वारा आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हुड़को) से एवं Privately Placed Bonds के द्वारा रुपये 100.00 करोड़ (रुपये सौ करोड़) के ऋण एवं उस पर देय ब्याज के भुगतान हेतु मध्यप्रदेश सरकार प्रतिभूति नियम, 1976 के नियम 2(5) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रत्याभूति (ग्यारंटी) प्रदान की जाती है। उक्त प्रत्याभूति बिना शर्त एवं अविखण्डनीय है तथा प्रत्याभूति उक्त राशि रुपये 100.00 करोड़ के ऋण बॉण्ड्स के मूलधन एवं ब्याज के सम्पूर्ण भुगतान/पूर्ण चुकता होने तक प्रभावशील रहेगी।

2. मध्यप्रदेश वित्त निगम प्रथमतः Privately Placed Bonds के जरिये अधिकतम राशि संग्रहित करने का प्रयास करें एवं हुड़को से शेष राशि का ऋण ही लिया जाये।

No: F-2-2-2005-E-IV.—This is partially revised order of dated 13th November 2009, in pursuance of Section 7(5) of the State Financial Corporation Act, 1951 (LXIII of 1951), the State Government of Madhya Pradesh exercising powers delegated to it under rule 2(5) of Madhya Pradesh Government Guarantee Rule, 1976, guarantee the payment of principal and interest on the loan of Rs 100.00 Crore (Rupees Hundred Crore) only taken by Madhya Pradesh Financial Corporation, Indore from Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) and Privately Placed Bonds. This guarantee is unconditional and irrevocable and will be in force until the entire amount of principal and interest of the loan obtained/bonds issued by MPFC pursuant to the above order fully paid/fully redeemed.

2. It is directed that Madhya Pradesh Financial Corporation will borrow as much as possible through Privately Placed Bonds first and only remaining through HUDCO.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित गठौर, अपर सचिव।

श्रण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 14-2310-2009-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध

अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा श्री प्रमोद कुमार दास को मध्यप्रदेश राज्य के लिये क्रमशः “श्रमायुक्त” तथा “मुख्य सुलहकार” नियुक्त करता है।

No.. 14-2310-2009-A-XVI.—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 and Sub-section (1) of Section 4 of Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960) in supersession of all the previous notifications in this respect, the State Government hereby appoints Shri Pramod Kumar Das to be the “Commissioner of Labour” and “Chief Conciliator” respectively for the state of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. सिंह, उपसचिव।

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2010

क्र. 89-3235-2009-दोए(3).—राज्य शासन द्वारा माह सितम्बर, 2009 में सम्पन्न विभागीय परीक्षा में सम्मिलित श्री विशेष गढ़पाले, सहायक कलेक्टर, सागर एवं श्री संकेत एस-भोड़वे, सहायक कलेक्टर, झाबुआ को गृह (सामान्य) विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक एफ 3-54-98-दोए(3), दिनांक 19 मार्च, 1999 में दिये गये प्रावधान अनुसार प्रश्न-पत्र “हिन्दी” में उत्तीर्ण माना जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधु खरे, उपसचिव।

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2010

क्र. एफ. 3-40-2009-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा समस्त विभागों के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 सितम्बर 2009 को “प्रश्न-पत्र” हिन्दी विषय में

सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

रीवा संभाग

1 डॉ. के. चासूकी	सहायक कलेक्टर
2 श्री एम.सी.बी. चक्रवर्ती	सहायक कलेक्टर
3 श्री जे.पी. आईरीन सितिया	सहायक कलेक्टर

भोपाल संभाग

4 श्री कृष्ण कुमार रावत	डिप्टी कलेक्टर
5 श्री नवल किशोर प्रभाकर	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी
6 श्री पूनमचन्द्र जांगड़े	अधीक्षक भू-अभिलेख
7 श्री अखिलेश कुमार जैन	डिप्टी कलेक्टर
8 श्री महताब सिंह	डिप्टी कलेक्टर
9 श्री जे. देवप्रसाद	(आई.एफ.एस.)

क्र. एफ. 3-54-2009-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 सितम्बर 2009, को प्रश्न-पत्र, समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

जबलपुर संभाग

1 श्री अनुज कुमार शर्मा	हाऊस मास्टर
-------------------------	-------------

भोपाल संभाग

2 श्री अरुण जोशी	परिवीक्षा अधिकारी
3 श्री राम विलास सामल	परिवीक्षा अधिकारी (सत्रेय)

निम्नस्तर

उज्जैन संभाग

1 श्रीमती शोभना चौहान	शिक्षक
-----------------------	--------

भोपाल संभाग

2 कु. सोना जावड़ा	शिक्षक
-------------------	--------

क्र. एफ. 3-100-2009-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 सितम्बर 2009, को प्रश्न-पत्र, समाजशास्त्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

निम्नस्तर इंदौर संभाग

1 श्री भूरसिंह रावत	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त
---------------------	-----------------------------

क्र. एफ. 3-95-2009-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 सितम्बर 2009, को प्रश्न-पत्र, व्यवहारिक परीक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

भोपाल संभाग

1 श्री चन्द्रशेखर सोलंकी	अति. पुलिस अधीक्षक
2 श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र	अति. पुलिस अधीक्षक

जबलपुर संभाग

3 श्री सुजीत सिंह बरकड़े	उप पुलिस अधीक्षक
--------------------------	------------------

क्र. एफ. 3-102-2009-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 सितम्बर 2009, को प्रश्न-पत्र, लेखा प्रथम एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री भूरसिंह रावत	अतिरिक्त विकास सहायक आयुक्त (सत्रेय).
---------------------	---------------------------------------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधु खरे, उपसचिव,

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2010

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 18 अगस्त, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 28 अगस्त, 2009 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 41-क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु-	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड
क्रमांक		
(1)	(2)	(3)
“41-क. विशेष न्यायालय वैदेन, जिला सीधी.	वैदेन (राजस्व जिला सिंगरोली मुख्यालय वैदेन की स्थानीय अधिकारिता में उद्भूत तथा संबंधित मामले) ”.	

टिप्पणी.—सेशन न्यायाधीश, किसी ऐसे विशेष न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, विशेष न्यायाधीशों के बीच अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिये व्यवस्था कर सकेगा।

F. No. 1-6-89-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 1-6-89-XXI-B(1), dated 18th August, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 28th August, 2009 namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, for Serial number 41-A and entries relating thereto, the following serial number

and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Special Court	Local area/Sessions Divisions
(1)	(2)	(3)
“41-A.	Special Court Waidhan, District Sidhi.	Waidhan (Cases arising out of and pertaining to local territorial jurisdiction of Revenue district Singroli headquarters at waidhan).”.

Note.—The Sessions Judge may make an arrangement for hearing of urgent matters amongst the Special Judges in absence of any such Special Judge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव,

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

फा. क्र. 1(सी)-24-2009-एट्रेसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री प्रदीप कुमार भट्ट, अधिवक्ता को जिला रतलाम में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

2. उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी, बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

3. नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रेसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे।

4. इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171)विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

फा. क्र. 1(बी) 05-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री लल्लूलाल जैन पुत्र स्व. श्री मिश्रीलाल जैन, अधिवक्ता, जिला विदिशा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विदिशा राजस्व, जिला विदिशा के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(बी) 05-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री नशनसिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री फूलसिंहजी राजपूत, अधिवक्ता, जिला विदिशा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विदिशा राजस्व, जिला विदिशा के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. एफ. 10-2-09-दो-ए (3).—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पूर्व में इस संबंध में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, राज्य शासन नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को जनगणना 2011 के लिए कॉलम (4) में दर्शाये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कॉलम (3) में दर्शाए प्राधिकार के अनुरूप जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है:—

स. क्र. पदाधिकारी

(1) (2)

1. जिलाध्यक्ष

2. जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित अपर/संयुक्त/उप जिलाध्यक्ष।

3. जिला सांख्यिकी/जिला योजना अधिकारी

4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

5. तहसीलदार

6. अतिरिक्त तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी/नायब तहसीलदार।

7. (अ) प्रशासक नगर निगम अधिक्रमण किये गये नगर निगमों में।

(ब) आयुक्त नगर निगम निवाचित नगर निगमों में।

8. प्रशासक/आयुक्त नगर निगम द्वारा नामांकित प्रभारी अधिकारी।

अनुसूची

प्राधिकार

(3)

प्रमुख जनगणना अधिकारी

जिला जनगणना अधिकारी

अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी

अनुविभागीय जनगणना अधिकारी

चार्ज जनगणना अधिकारी

अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी

प्रमुख जनगणना अधिकारी

प्रमुख जनगणना अधिकारी

नगर जनगणना अधिकारी

क्षेत्राधिकार

(4)

उनके संबंधित जिले के अन्तर्गत

उनके संबंधित जिले के अन्तर्गत

उनके संबंधित जिले के अन्तर्गत

उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

उनके क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अंतर्गत।

उनके क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अंतर्गत।

उनके क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अंतर्गत।

(1)	(2)	(3)	(4)
9	मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अंतर्गत.
10	छावनी अधिशासी अधिकारी केन्टोनमेंट बोर्ड.	चार्ज जनगणना अधिकारी	संबंधित केन्टोनमेंट बोर्ड एरिया की सीमा के अंतर्गत एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अंतर्गत.
11	उपायुक्त (विकास/राजस्व)	संभागीय जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित संभाग के अन्तर्गत
12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशेष क्षेत्र.	विशेष क्षेत्र जनगणना अधिकारी	उनसे संबंधित विशेष क्षेत्र के अंतर्गत

2. वर्णित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उपरोक्त दर्शाई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को उक्त धारा की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके समुख कॉलम (4) में दर्शाये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जनगणना पदाधिकारियों को नियुक्त करने का एतद्वारा अधिकार प्रदाय करता है।

3. वर्णित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उपरोक्त दर्शाई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को उनके समक्ष कॉलम (4) में दर्शाये गये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके द्वारा नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों के लिए लिखित में घोषणा-पत्र प्रसारित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

पु. क्र. एफ. 10-2-09-दो-ए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 11th January 2010

No. F 10-2-09-II-A (3).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Census Act, 1948 (No. 37 of 1948) and in supersession of all Previous Notifications issued in this regard the State Government hereby appoints the authorities specified in column (2) of the Schedule below as Census officers designated in column (3) for the Census 2011 within the local areas specified in column (4) thereof:—

SCHEDULE

S. N.	Authorities (2)	Designation (3)	Local Areas (4)
1	Collector of the District	Principal Census Officer	Within the limits of their respective district.
2	Additional Collector /Joint Collector/Deputy Collector nominated by the Collector.	District Census Officer	Within the limits of their respective district.

(1)	(2)	(3)	(4)
3	District Statistical Officer/ District Planning Officer.	Additional District Census Officer.	Within the limits of their respective district.
4	Sub-Divisional Officer (Revenue).	Sub-Divisional Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions.
5	Tehsildar	Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions.
6	Additional Tehsildar/B.D.O./ Naib Tehsildar.	Additional Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions.
7	(A) Administrator in superceded Municipal Corporations. (B) Commissioner in elected Municipal Corporations.	Principal Census Officer Principal Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions plus out-growth areas, if any. Within the limits of their respective jurisdictions plus out-growth areas, if any.
8	Officer nominated by Administrator/Commissioner in Municipal Corporations.	City Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions plus out-growth areas, if any.
9	Chief Executive Officer/ Chief Municipal Officer.	Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions plus out-growth areas, if any.
10	Chief Executive Officer of Cantonment Board.	Charge Census Officer	Within the limits of their respective areas plus out-growth areas, if any.
11	Deputy Commissioner (Revenue/Development)	Divisional Census Officer	Within the limits of their respective Division.
12	Chief Executive Officer in Special Areas.	Special Charge Officer	Within the limits of their respective Special areas.

(2) In exercise of powers conferred by sub-section (4) of Section 4 of the said Act, the State Government hereby delegates the powers of appointing Census Officers conferred upon it by sub-section (2) of the said section to the authorities specified in column (2) of the above schedule within the area specified in column (4) thereof.

(3) In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the said Act, the State Government hereby authorises the authorities specified in column (2) of the above schedule to sign declaration regarding the appointment of Census Officers within the areas specified in column (4) thereof.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (श्रम शाखा), मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला, दिनांक 15 दिसम्बर 2009

क्र. 02-09.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधि. 1976 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शाखाओं को प्रयोग करते हुए मैं, के.के. खेरे, कलेक्टर, मण्डला बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधि. 1976 की धारा 13(2) के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13(3) के अंतर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन एतद्वारा करता हूँ :—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जिला मण्डला (म.प्र.)

धारा 13(2) खण्ड (क) के अनुसार—

(1) अपर जिला दण्डाधिकारी, मण्डला (म.प्र.)	अध्यक्ष
---	---------

धारा 13(2) खण्ड (ख) के अनुसार—

(1) श्री बसोरी, ग्राम चरगांव, विकासखण्ड, बीजाडाडी, तहसील निवासी, जिला मण्डला	सदस्य
(2) श्री जमुना भगत, मु.ग्रा. झण्डाटोला, विकासखण्ड मोहगांव, तहसील, जिला मण्डला	सदस्य
(3) श्री चुनीलाल झारिया, मु.ग्रा. लिंगापौडी, विकासखण्ड मण्डला, जिला मण्डला	सदस्य

धारा 13(2) खण्ड (ग) के अनुसार—

(1) श्री जगदीश ठाकुर, बिछिया, जिला मण्डला	सदस्य
(2) श्री भगत राय, मु. ग्रा. ग्वारा, जिला मण्डला	सदस्य

धारा 13(2) खण्ड (घ) के अनुसार—

(1) पुलिस अधीक्षक, मण्डला, जिला मण्डला	सदस्य
(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मण्डला	सदस्य
(3) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, मण्डला	सदस्य

धारा 13(2) खण्ड (च) के अनुसार—

(1) लीड बैंक मेनेजर, मण्डला	सदस्य
-----------------------------	-------

1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग मण्डला

धारा 13(2) खण्ड (क) के अनुसार—

(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मण्डला	अध्यक्ष
--	---------

धारा 13(3) खण्ड (ख) के अनुसार—

(1) श्रीमती सिया बाई शाह पति श्री शिवशाह, सदस्य कृषि उपज मण्डी	सदस्य
(2) श्री भीष्म द्विवेदी, आं. श्री के. एल. द्विवेदी, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत, मण्डला	सदस्य
(3) श्री मनोज फागवानी आत्मज श्री जे. डी. फागवानी अधिवक्ता, मण्डला	सदस्य

धारा 13(3) खण्ड (ग) के अनुसार—

(1) श्री दीपक सिंधिया आत्मज विपत लाल सिंधिया, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड मण्डला	सदस्य
(2) श्री दशरथ सिंह आत्मज, श्री विष्णु प्रसाद सैयाम, सरपंच ग्राम पंचायत, मानादेही	सदस्य

धारा 13(३) खण्ड (घ) के अनुसार—

(१) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मण्डला

सदस्य

धारा 13(३) खण्ड (च) के अनुसार—

(१) शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मण्डला

सदस्य

धारा 13(३) खण्ड (छ) के अनुसार—

(१) तहसीलदार, मण्डला

सदस्य

2. अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी, नैनपुर

धारा 13(३) खण्ड (क) के अनुसार—

(१) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नैनपुर, जिला मण्डला (म. प्र.)

अध्यक्ष

धारा 13(३) खण्ड (ख) के अनुसार—

(१) श्री अंगिलेश शुक्ला, नैनपुर जिला मण्डला

सदस्य

(२) श्री केसरी पटेल, नैनपुर जिला मण्डला

सदस्य

(३) श्रीमति ओमवती उड़इ, सरपंच ग्राम पंचायत, रामदेवरी, तहसील नैनपुर जिला मण्डला

सदस्य

धारा 13(३) खण्ड (ग) के अनुसार—

(१) श्री गम्भत सिंह ठाकुर, ग्राम जामगांव, तहसील, नैनपुर जिला मण्डला

सदस्य

(२) श्री सुखदेव ठाकुर, ग्राम मानेगांव, तहसील जिला मण्डला

सदस्य

धारा 13(३) खण्ड (घ) के अनुसार—

(१) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नैनपुर

सदस्य

धारा 13(३) खण्ड (च) के अनुसार—

(१) शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, नैनपुर

सदस्य

धारा 13(३) खण्ड (छ) के अनुसार—

(१) तहसीलदार, नैनपुर

सदस्य

3. अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, बिछिया

सदस्य

धारा 13(३) खण्ड (क) के अनुसार—

(१) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)

अध्यक्ष

धारा 13(३) खण्ड (ख) के अनुसार—

(१) श्री निरंजन सिंह मरकाम, मु. ग्राम-घुघरी, तहसील बिछिया, मण्डला

सदस्य

(२) श्री अशोक नानकानी, बिछिया, जिला मण्डला

सदस्य

(३) सुश्री भगवती बाई पिता फूलसिंह ग्राम मदनपुर घुघरी, तहसील बिछिया, मण्डला

सदस्य

धारा 13(३) खण्ड (ग) के अनुसार—

(१) श्री मुनालाल मरकाम, ग्राम खुर्सीपार, पोस्ट-मंगली, तहसील बिछिया, जिला मण्डला

सदस्य

(२) श्री सुरेश झारिया, आत्मज श्री दुमरा झारिया, बिछिया, जिला मण्डला

सदस्य

धारा 13(3) खण्ड (घ) के अनुसार—

- (1) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), तहसील बिछिया, जिला मण्डला
 (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बिछिया, जिला मण्डला

सदस्य
सदस्य

धारा 13(3) खण्ड (च) के अनुसार—

- (1) शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बिछिया

सदस्य

धारा 13(3) खण्ड (छ) के अनुसार—

- (1) तहसीलदार, बिछिया

सदस्य

4. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, निवास

धारा 13(3) खण्ड (क) के अनुसार—

- (1) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) निवास

अध्यक्ष

धारा 13(3) खण्ड (ख) के अनुसार—

- (1) डॉ. विनय सर्वटे, ग्रा.जबेरा, पो.आ. देवरीकला बबलिया, तहसील निवास, जिला मण्डला
 (2) श्री कमलेश जैन, मुकाम निवास, तहसील निवास, जिला मण्डला
 (3) श्री जाकिर हुसैन, ग्राम बीजाडांडी, तहसील निवास, जिला मण्डला

सदस्य
सदस्य
सदस्य

धारा 13(3) खण्ड (ग) के अनुसार—

- (1) श्री संतोष सोनी, निवास, जिला मण्डला
 (2) श्रीमती प्रेमवती कुशरे, ग्राम जबेरा, तहसील निवास, जिला मण्डला

सदस्य
सदस्य

धारा 13(3) खण्ड (घ) के अनुसार—

- (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, निवास
 (2) मंडल संयोजक, आदिमजाति विभाग, निवास
 (3) थाना प्रभारी, निवास (मण्डला)

सदस्य
सदस्य
सदस्य

धारा 13(3) खण्ड (च) के अनुसार—

- (1) शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, निवास

सदस्य

धारा 13(3) खण्ड (छ) के अनुसार—

- (1) तहसीलदार, निवास

के. के. खेरे, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2008

क्र. 08-मण्डी निर्वाचन-321.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, आगर, जिला शाजापुर के निम्नानुसार सदस्य का नामनिर्देशन किया जाना है:—

क्रमांक	व्यक्ति का नाम	मण्डी अधिनियम की धारा	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री गजराज सिंह	11 (5)	निवासी पिपल्याकला, पोस्ट मलवासा, तहसील आगर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश.

राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर.

**संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि
विकास, मध्यप्रदेश भोपाल**

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2009

क्र.-गना-एस-3-क्षे.रा.-10-09-10-432.—मध्यप्रदेश गना (प्रदाय एवं क्रय नियम) 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गना पैराई मौसम वर्ष 2009-10 हेतु जवाहरलाल नेहरू सह. शक्कर कारखाना सरवरदेवला, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र. जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की क्षेत्र संख्या (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 खरगोन/कसरावद	कसरावद	23	210.365				
2 खरगोन/खरगोन	खरगोन	02	12.271				
3 खरगोन/गोगांवा	गोगांवा	03	6.036				
4 खरगोन/भीकनगांव	भीकनगांव	01	1.680				
5 खरगोन/भगवानपुरा	भगवानपुरा	02	5.956				
6 खरगोन/महेश्वर	महेश्वर	29	172.717				
7 खरगोन/बड़वाह	बड़वाह	12	29.101				
8 खण्डवा/पुनासा	पुनासा	13	13.283				
	योग . .	85	451.409				

उपरोक्त गना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु सम्परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे।

डॉ. एन. शर्मा, गना आयुक्त.

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रो.

सोसायटी लि., खरगोन

यूनिट सरवर देवला तेह. कसरावद, जिला खरगोन

**पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, कसरावद में
उपलब्ध गने की ग्रामवार सूची**

क्र.	गना ग्राम का नाम	गना क्षेत्र (हेक्टेयर में)			रिमार्क
		रोपा	जड़ी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कसरावद	12.113	13.988	26.101	
2	बड़गांव	11.061	6.016	17.077	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	कठोरा(गाकड़खेड़ा)	1.397	5.267	6.664	
4	माकड़खेड़ा	6.899	2.607	9.506	
5	सायता	2.020	2.980	5.000	
6	बोथू	11.757	2.696	14.453	
7	मोगांवा	9.126	5.964	15.089	
8	ब्राह्मणगांव	1.818	1.409	3.227	
9	भीलगांव	1.996	1.275	3.271	
10	बालसमुद	5.211	7.700	12.911	
11	बलगांव	7.397	0.000	7.397	
12	ढालखेड़ा	6.401	3.441	9.842	
13	डोंगरगांव	6.381	4.684	11.065	
14	सलीमपूरा	0.000	0.522	0.522	
15	टिगरियाब	2.081	1.692	3.773	
16	कोगावा	0.891	2.296	3.181	
17	अगलाथा	22.98	13.737	36.717	
18	नहारखेड़ी	0.219	2.028	2.247	
19	गलतार	0.000	1.012	1.012	
20	सरवरदेवला	0.972	1.692	2.664	
21	उटावद	9.856	2.567	12.223	
22	भनगावं	0.587	3.996	4.583	
23	खलसाटक	1.838	0.000	1.838	
	योग . .	200.567	158.696	210.365	

पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, खरगोन में
उपलब्ध गने की ग्रामवार सूची

क्र.	गना ग्राम का नाम	गना क्षेत्र (हेक्टेयर में)			रिमार्क
		रोपा	जड़ी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डेहरी	7.421	4.231	11.652	
2	खेड़ी	0.619	0.000	0.619	
	योग . .	8.040	4.231	12.271	

पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, गोगांवा में
उपलब्ध गने की ग्रामवार सूची

क्र.	गना ग्राम का नाम	गना क्षेत्र (हेक्टेयर में)			रिमार्क
		रोपा	जड़ी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बेजापुर	1.328	1.749	3.077	
2	बिलखेड बुजुर्ग	0.000	1.915	1.915	
3	बैहरामपुरा टेमा	1.045	0.000	1.045	
	योग . .	2.372	3.864	6.036	

**पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, भीकनगांव में
उपलब्ध गन्ने की ग्रामवार सूची**

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)			रिमार्क
		रोपा	जड़ी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बिटनेरा	0.761	0.919	1.680	
	योग . .	0.761	0.919	1.680	

**पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, भगवानपुरा में
उपलब्ध गन्ने की ग्रामवार सूची**

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)			रिमार्क
		रोपा	जड़ी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गोगरगांव	0	1.304	1.304	
2	दाउतखेड़ी	0	4.652	4.652	
	योग . .	0.000	5.956	5.956	

**पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, महेश्वर में
उपलब्ध गन्ने की ग्रामवार सूची**

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)			रिमार्क
		रोपा	जड़ी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जलकोटा	29.057	7.437	36.494	
2	खराडी	4.571	1.741	6.312	
3	कुडियां	4.069	0.000	4.069	
4	माचंदा	0.992	1.364	2.356	
5	महेश्वर	9.304	3.174	12.478	
6	मण्डलेश्वर	4.858	3.381	8.239	
7	ठनगांव	1.781	1.692	3.474	
8	छोटी खरगोन	2.093	0.000	2.093	
9	चोली	1.247	0.000	1.247	
10	धरगांव	2.081	5.101	7.182	
11	सुलगांव	4.219	0.113	4.332	
12	गोगांवा(मंडलेश्वर)	3.938	2.211	6.198	
13	नान्दा	4.826	2.453	7.279	
14	पथराड	1.243	0.000	1.243	
15	मातमूर	5.575	0.453	6.028	
16	देव पिपल्या	2.126	0.000	2.126	
17	उरवाय	5.854	2.008	7.862	
18	सोमाखेड़ी	0.000	0.538	0.538	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	कतरगांव	3.951	0.000	3.951	
20	बंडेरा	3.870	9.830	13.700	
21	नई बेहगांव	0.000	1.644	1.644	
22	बेहगांव	3.652	4.814	8.466	
23	पिटाम्बली	0.000	0.810	0.810	
24	गंगातखेड़ी	1.073	1.640	2.713	
25	जागन्या	1.623	0.000	1.623	
26	खेगांव	0.000	1.696	1.696	
27	रुपाला	1.032	1.923	2.955	
28	कोदया खेड़ी	0.000	1.696	1.696	
29	भुदरी	11.340	2.571	13.911	
	योग . .	114.425	58.292	172.717	

**पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, बड़वाह में
उपलब्ध गन्ने की ग्रामवार सूची**

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)			रिमार्क
		रोपा	जड़ी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गुरल्ला	2.652	3.328	5.980	
2	भोराई	0.000	0.741	0.741	
3	बावडी खेड़ा	0.668	1.482	2.150	
4	अस्तरिया	3.567	3.352	6.919	
5	खोड़ी	0.364	0.000	0.364	
6	सिरलाय	0.000	0.810	0.810	
7	बेडिया	0.000	0.356	0.356	
8	बडूद	4.190	2.648	6.838	
9	देलवाडा	0.943	0.000	0.943	
10	जूनापानी	0.927	0.000	0.927	
11	कांकरिया	1.174	1.393	2.567	
12	कालधा	0.000	0.506	0.506	
	योग . .	14.486	14.615	29.101	

**पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, पुनासा में
उपलब्ध गन्ने की ग्रामवार सूची**

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)			रिमार्क
		रोपा	जड़ी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बोराडीगाल	0.263	0.668	0.931	
2	बोराडी रेयत	1.279	0.000	1.279	
3	गुजरखेड़ी	1.231	0.000	1.231	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	मोहना	0.891	0.000	0.891	
5	कालिया खेडी	0.000	0.858	0.852	
6	गुजली	0.506	0.000	0.506	
7	पुनासा	0.259	0.000	0.259	
8	बिहारीपुरा	0.251	0.000	0.251	
9	सुलगांव	0.271	0.000	0.271	
10	हरबंशपुरा	1.846	0.000	1.846	
11	अटुट	1.105	0.000	1.105	
12	कामनखेडा	2.073	0.000	2.073	
13	निमाड खेडी	1.781	0.000	1.781	
	योग . .	11.757	1.526	13.283	

समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

तहसील—ठीकरी (जिला बड़वानी)

क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कुआं	03	65.46
2	केरवा	02	0.84
3	कपाल्याखेड़ी	03	4.44
4	घटवा	01	28.01
5	आबाली	02	23.39
6	भगवानपुरा	02	19.95
7	जरवाह	02	42.32
8	उमरदा	02	23.35
9	हतोला	13	1.05
10	सेगवाल	02	65.12
11	ठीकरी	04	55.82
12	रणगांव	05	18.24
13	खुरमपुरा	05	0.55
14	मदरान्या	09	0.47
15	रेहड़कोट	11	0.30
16	कुंडिया	02	0.25
17	बांदरकच्छ	13	0.66
18	ब्राह्मणगांव	06	44.22
19	लखनगांव	09	8.16
20	अंजंदी	05	0.41
21	मेहगांवडेब	11	7.42
22	रसवाडेब	10	0.31
23	मारुचिचली	13	33.46
24	चेनपुरा	11	20.02
25	गवला	11	7.71
26	देवला	06	1.46
27	ननगांव	05	8.62
28	दवाना	05	23.05
29	विश्वनाथखेड़ा	08	36.01
30	कालापानी	06	0.22
31	बलगांव	05	0.37
32	टिटारिया	07	23.92
33	दाबड़	05	14.72
34	कुदामाल	04	1.00
	योग . .		581.30

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2009

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-22-09-10-434.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियम) 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2009-10 हेतु बड़वानी शुगर ओलम एक्सपोर्ट (इन्डिया) लि. घटवा, बड़वानी, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बड़वानी/ठीकरी	ठीकरी	34	581.30
2	बड़वानी/अंजड़	अंजड़	23	268.00
3	बड़वानी/बड़वानी	बड़वानी	20	215.66
4	बड़वानी/राजपुरा	राजपुरा	05	1.05
5	बड़वानी/सेढ़वा	सेढ़वा	05	1.21
6	बड़वानी/कसरावद	कसरावद	22	155.89
7	खरगोन/खरगोन	खरगोन	01	0.30
8	खरगोन/सेंगवा	सेंगवा	04	1.37
9	धार/धरमपुरी	धरमपुरी	33	229.01
10	धार/मनावर	मनावर	44	277.37
11	धार/कुक्षी	कुक्षी	20	75.61
	योग . .	211	1806.77	

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु

18	ब्राह्मणगांव	06	44.22
19	लखनगांव	09	8.16
20	अंजंदी	05	0.41
21	मेहगांवडेब	11	7.42
22	रसवाडेब	10	0.31
23	मारुचिचली	13	33.46
24	चेनपुरा	11	20.02
25	गवला	11	7.71
26	देवला	06	1.46
27	ननगांव	05	8.62
28	दवाना	05	23.05
29	विश्वनाथखेड़ा	08	36.01
30	कालापानी	06	0.22
31	बलगांव	05	0.37
32	टिटारिया	07	23.92
33	दाबड़	05	14.72
34	कुदामाल	04	1.00
	योग . .		581.30

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
तहसील—अन्जड़ (जिला बड़वानी)				9	पिपलुद	36	51.15
1	गोलाटा	28	1.01	10	उटावद	38	6.96
2	चकेरी	27	1.74	11	सेगावां	45	2.75
3	बावड़िया	17	12.88	12	करी	42	5.03
4	फत्तापुर	19	1.78	13	लोनसरा	37	0.55
5	किरमोही	19	1.15	14	कल्याणपुरा	52	0.49
6	अंजड़	29	54.23	15	खेड़ी	34	1.00
7	मोहीपुरा	24	16.14	16	रेहगुन	40	0.50
8	दत्तवाड़ा	28	36.15	17	बगूद	40	14.97
9	छोटा बड़वा	31	47.93	18	एकलरा	48	1.00
10	आवली	33	30.55	19	सोंदूल	49	1.05
11	पिपल्याडेब	17	4.39	20	जागरवा	50	1.10
12	लोहारा	16	15.49			योग . .	<u>215.66</u>
13	केसरपुरा	22	1.00				
14	नलवाय	13	1.51	तहसील—राजपुर (जिला बड़वानी)			
15	तलवाड़ाडेब	14	24.01	1	ओझर	32	0.20
16	पान्या	22	1.87	2	रणगांवरोड़	29	0.19
17	रणगांवडेब	29	0.40	3	नागलवाडी	33	0.21
18	उचावद	17	2.23	4	आगलगांव	24	0.28
19	पिछोला	19	0.60	5	सनगांव	17	0.17
20	बिलवाडेब	18	0.30			योग . .	<u>1.05</u>
21	छापरी	17	1.00	तहसील—सेंधवा (जिला बड़वानी)			
22	हरीबड़	13	0.35	1	पिसनावल	45	0.24
23	मंडवाड़ा	22	11.29	2	वरला	72	0.16
			योग . .	3	बलवाड़ी	69	0.40
			<u>268.00</u>	4	दुगाणी	68	0.19
				5	खारियां	65	0.22
						योग . .	<u>1.21</u>
तहसील—बड़वानी (जिला बड़वानी)				तहसील—कसरावद (जिला खरगोन)			
1	बड़वानी	48	47.35	1	निमरानी	10	1.63
2	तलून	40	16.05	2	हतोला	13	0.29
3	बोरलाय	35	3.01				
4	धनोरा	36	11.99				
5	पिपरी	35	3.56				
6	पिपलाज	42	13.22				
7	कुंडिया	42	32.67				
8	छोटीकसरावद	43	1.26				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)		
3	जरोली	05	1.65	तहसील—धरमपुरी (जिला धार)					
4	चिचली	06	27.26	1	खलधाट	15	24.15		
5	भोईन्दा	05	77.33	2	सुन्द्रेल	15	36.98		
6	कठोरा	07	0.84	3	बगड़ीपुरा	13	11.30		
7	घटबेड़िया	07	0.14	4	सुलगांव	10	1.20		
8	पथोरा	16	0.21	5	इतनावर	09	31.98		
9	बलगांव	16	7.74	6	बगड़ी	12	3.02		
10	बलखड़	14	0.19	7	खतड़गांव	09	14.55		
11	अहिर धामनोद	09	1.00	8	पेड़वी	12	3.62		
12	खलटाका	10	24.75	9	खुजावा	10	5.58		
13	खलबुजुर्ग	10	4.69	10	धामनोद	20	0.51		
14	मलतार	12	1.10	11	पिपलदागढ़ी	11	18.09		
15	मालपुरा	05	3.94	12	निमोला	11	9.17		
16	जलखा	17	1.00	13	मोरगड़ी	16	13.30		
17	अकबरपुर	17	0.13	14	साला	13	7.68		
18	रावां	16	0.15	15	लुंहेरा	12	9.59		
19	सत्राटी	06	1.00	16	धरमपुरी	10	2.76		
20	पानवा	15	0.22	17	बेंगदा	20	7.51		
21	नगावां	08	0.18	18	भोगावां	10	0.30		
22	मगरखेड़ी	08	0.25	19	पटलावद	17	4.84		
		योग . .	<u>155.89</u>	20	बलवाड़ा	17	0.25		
				21	धेगदा	11	15.56		
तहसील—खरगोन (जिला खरगोन)				22	पगारा	14	0.35		
1	बगवां	16	0.30	23	पलासिया	21	0.29		
		योग . .	<u>0.30</u>	24	रामपुर	12	0.44		
				25	फत्यापुर	11	0.18		
				26	देगावां	12	0.20		
तहसील—सेगावां (जिला खरगोन)				27	खारपुरा	12	1.65		
1	गोलवाड़ी	31	0.12	28	डोगरी	13	0.15		
2	भिकारखेड़ी	26	0.16	29	डहीवर	24	0.31		
3	रसगांव	20	0.29	30	एकलरा	10	1.00		
4	सेगावां	24	0.80	31	छोटीनिमरानी	13	0.50		
		योग . .	<u>1.37</u>	32	चंदावड़	14	1.00		
				33	बिखरोन	15	1.00		
					योग . .	<u>229.01</u>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
		तहसील—मनावर (ज़िला धार)		34	बाकानेर	21	0.30
				35	जेतापुर	20	0.40
1	देवगढ़	33	1.54	36	कुंडियापुरा	18	0.24
2	कवठी	35	6.48	37	राजपुरा	19	4.03
3	साततलाई	39	0.54	38	झिरवी	19	0.27
4	शरिफपुरा	25	0.94	39	लंगूर	34	0.15
5	मलनगांव	21	13.51	40	अंजदीकोट	37	0.18
6	बड़ा बड़दा	24	10.68	41	बागलिया	20	0.20
7	रतवा	20	0.77	42	पिपरीमान	25	0.10
8	उरदना	27	0.33	43	गोपालपुरा	24	2.13
9	जोतपुर	26	18.04	44	बीजाबेड़ी	29	1.24
10	पिपलाज	35	2.43			योग . .	277.37
11	मिर्जापुर	21	21.67		तहसील—कुक्षी (ज़िला धार)		
12	देवलरा	13	16.92				
13	कोठड़ा	13	20.47	1	चिखलदा	50	14.66
14	टवलई	13	0.50	2	गेहतगांव	54	1.61
15	सेमलदा	29	24.55	3	मलवाड़ा	42	16.30
16	अछोदा	31	19.63	4	कड़माल	49	0.45
17	गोगावां	11	1.12	5	खापखेड़ी	53	0.20
18	सिरसाला	30	13.15	6	बाजरीखेड़ा	54	1.65
19	डोंगरगांव	40	0.21	7	नर्मदानगर	48	19.07
20	करोली	29	30.12	8	निसरपुर	53	4.10
21	बड़गांवखेड़ी	29	0.57	9	कोटेश्वर	49	0.15
22	मांडवी	41	2.05	10	कोणदा	59	0.21
23	पटवार	19	0.17	11	दोगावां	60	0.25
24	छोटी टवलई	13	5.37	12	कुआं (धरमराय)	68	0.54
25	बालीपुर	11	0.33	13	भवरिया	59	3.57
26	अजंदा	24	7.94	14	पिपल्या	49	0.13
27	कुवाली	23	0.23	15	पूरा	47	0.10
28	जलखेड़ा	22	5.95	16	दोंद	48	0.15
29	एकलवारा	33	35.60	17	कोठड़ा	55	4.78
30	पेरखड़	33	2.58	18	बोधवाड़ा	42	7.15
31	वायल	27	0.81	19	लिंगवा	45	0.25
32	ठनगांव	16	0.19	20	बेडबालिया	47	0.29
33	डेडगांव	14	2.74			योग . .	75.61

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. 71-भू-अर्जन-2009-प्र. क्र. 1-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँः—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नीमच	नीमच	कचौली	सर्वे नम्बर 283 पर स्थित कुआ लगभग 50 फीट गहरा एवं 20 फीट गोलाई का, मकान 45×35	परियोजना प्रबंधक मध्यप्रदेश रोड, डल्लपमेट कार्पोरेशन, भोपाल	फोरलेन मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 4 जनवरी 2010

रा.मा.क्र. 9-अ-82-वर्ष 09-10-पत्र क्र. 7-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2) के अर्जित रकमा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	गुटौरी नं.बं. 121, प.ह.नं. 7.	0.260	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर	डोभी से गुटौरी सड़क निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. भू-अर्जन-प्र.क्र. 4-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सिवरिया	2.40	कार्यपालन अभियंता (सि) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र. पा.जन.कं. लि., खण्डवा	श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी से पावर हाऊस तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु,

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना (4× 600 मे. वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी से पावर हाऊस तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र. पा. जन. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय एच-12 किशोर नगर में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-प्र.क्र. 5-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	दिनकरपुरा	4.60	कार्यपालन अभियंता (सि) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र. पा.जन.कं. लि., खण्डवा	श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी से पावर हाऊस तक पहुंच मार्ग हेतु,

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना (4× 600 मे. वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी से पावर हाऊस तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र. पा. जन. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-प्र.क्र. 6-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	का वर्णन
खण्डवा	पुनासा	देवला मापी	4.21	कार्यपालन अभियंता (सि) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी से पावर हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना (4×600 मे. वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी से पावर हाउस तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. जन. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन सचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश
शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 29 दिसम्बर 2009

क्र. 7135-भू-अर्जन-2009-प्र.क्र. 23-अ-82-2008-09.—
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

- अनुसूची
- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—आलोट

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1012/6	0.025
1006	0.126
1004/2	0.126
1001/1	0.500
1001/2	0.057
1002	0.721
1008/1/2/1	0.265
1013	0.468
1014	0.139
1015	0.139
1016/1	0.139

(1)	(2)	(1)	(2)
1016/2	0.025	1053	0.089
1008/1/2/4	0.506	योग . .	<u>13.597</u>
1008/1/2/3	0.506		
1004/1154	0.342	(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके—माधोपुर तालाब निर्माण कार्य हेतु।	
1003/2	0.102	(3) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है।	
1000/7	0.151		
1003/3/3	0.070		
1003/4/3	0.481	क्र. 7133-भू-अर्जन-2009-प्र.क्र. 28-अ-82-2008-09.—	
1000/11/3	0.038	चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	
1017/2	0.253		
1000/9/1	0.250		
1000/9/2	0.125		
1000/9/3	0.250		
1000/9/4	0.275		
998/2	0.329		अनुसूची
998/3/1	0.441	(1) भूमि का वर्णन—	
1016/3	0.038	(क) जिला—रतलाम	
1017/1/1	0.373	(ख) तहसील—जावरा	
1017/1/2	0.300	(ग) नगर/ग्राम—कस्बा जावरा	
1017/1/3	0.300	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.10 हेक्टर।	
1018/1	0.200		
1018/2	0.235	सर्वे नम्बर	रकबा
1018/3	0.235		(हेक्टर में)
1025/1/2	1.302	(1)	(2)
1025/1/1	1.270	24/4	0.04
1012/2	0.819	30/1	0.06
1012/5	0.152		योग . . 0.10
1012/4	0.210		
1021	0.354		
1020 एवं 1020/1123	0.392	(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लेबड़-जावरा-नयागांव फोरलेन सड़क परियोजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु।	
1023	0.190	(3) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है।	
1024	0.070		
1051	0.063		
1050	0.080		
1052	0.076		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)	
	25/1	0.29	
कटनी, दिनांक 13 जनवरी 2010	25/2	0.04	
रा.प्र.क्र. 2-अ-82-2009-10-भू.अ.अ.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	26	1.21	
	28/1	0.21	
	28/2	0.43	
	28/3	0.22	
	34	0.81	
	35	0.45	
अनुसूची	36	0.55	
(1) भूमि का वर्णन—	52/1	0.22	
(क) जिला—कटनी	52/2	0.28	
(ख) तहसील—ढीमरखेड़ा	53/2	0.45	
(ग) ग्राम—खमतरा, सलैया, प.ह.ने. 109	54/2	1.02	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—43.84 हेक्टर.	54/3	1.00	
खसरा नम्बर	रकबा		
	(हेक्टर में)		
(1)	(2)	23/1002	0.30
		43	0.24
ग्राम-खमतरा		योग	15.65

2	0.30	ग्राम-सलैया
3	0.34	
4	0.35	233 0.68
5	0.34	234 0.12
6	1.03	235 0.10
7	0.22	237 0.25
8	0.11	205 0.60
9	0.11	242 0.30
10	1.98	262 0.85
12	0.40	270 0.28
15	1.25	264/1 1.49
16	0.92	264/2 0.65
19	0.84	265/1 0.65
23	0.10	278/1 0.10
24	0.09	265/2 0.64

(1)	(2)	(1)	(2)
278/2	0.10	293	0.97
265/3	0.65	294	0.46
278/3	0.10	295	0.88
266	0.22	296	0.30
267	0.22	297	0.31
268	0.23	298	0.37
269	0.22	299	0.32
271	0.28	301	0.06
272/2	0.72	303	0.82
273	0.72	304	0.04
274/1	0.22	305	0.19
274/2	0.22	306	0.50
274/3	0.22	307	0.11
275/2	0.48	308	0.42
275/1	0.95	309	0.08
251	0.26	310	0.05
253	0.85	289/489	0.39
281	1.50	290/490	0.32
282	1.52	272/1	0.35
283	0.75	257/1	0.04
284	0.37	203	0.32
285	0.37	कुल योग . . .	
286	0.64	<u>43.84</u>	
287	0.44		
288	0.18		
300	0.11	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—पहरुवा जलाशय निर्माण कार्य हेतु.	
302	0.03		
289	0.30	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, ढीमरखेड़ा, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
290	0.36		
291	0.32	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्ट्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,	
292	0.58		

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्र. 11-गोपनीय-2010-दो-3-136-2009.—श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय की सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर का विवाह श्री अब्दुल कदीर मंसूरी के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी शबनम खान के स्थान पर “श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी” पल्टी श्री अब्दुल कदीर मंसूरी परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

जबलपुर, दिनांक 8 जनवरी 2010

क्र. D/177-दो-14-1-2009.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर निम्नलिखित ग्रन्थपाल/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 17 (ई)-14-05-इक्कीस-ब (एक) भोपाल दिनांक 3 जुलाई 2009 द्वारा नवीन सृजित असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500/- (पुनरीक्षित वेतन बैंड-3 रुपये 15,600-39,100+ग्रेड पे रुपये 5400/-) में अस्थाई एवं स्थानापन रुप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वर्तमान में धारित निजी सचिव के पद को शासन को समर्पित करते हुए नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है, एवं उन्हें मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि यदि वे पदोन्नत पद एवं पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति प्रकरण पर आगामी एक वर्ष तक अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक जो भी पूर्व में हो तक विचार नहीं किया जावेगा:

क्र. D/179-दो-14-1-2009.—श्रीमती शबनमा श्रीबास्तव, मुख्य अनुवादक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की नियुक्ति/पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 6500-200-10,500 (पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9,300-34800+ग्रेड पे रुपये 4200) में, अस्थायी एवं स्थानापन रुप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है, एवं उन्हें मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि यदि वे पदोन्नत पद एवं पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति प्रकरण पर आगामी एक वर्ष तक अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक जो भी पूर्व में हो तक विचार नहीं किया जावेगा:

क्र. D/181-दो-14-1-2009.—श्रीमती निरूपमा श्रीबास्तव, मुख्य अनुवादक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की नियुक्ति/पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 6500-200-10,500 (पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9,300-34800+ग्रेड पे रुपये 4200) में, अस्थायी एवं स्थानापन रुप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है, एवं उन्हें मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि यदि वे पदोन्नत पद एवं पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति प्रकरण पर आगामी एक वर्ष तक अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक जो भी पूर्व में हो तक विचार नहीं किया जावेगा।

क्रमांक	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	कु. कृष्णा शर्मा, ग्रन्थपाल, खण्डपीठ ग्वालियर	खण्डपीठ ग्वालियर
2	श्री ए. के. शर्मा, अनुभाग अधिकारी, खण्डपीठ ग्वालियर	खण्डपीठ ग्वालियर
3	श्री के. के. पिथवे, निजी सचिव, मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर
4	श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, निजी सचिव, मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर

क्र. D/183-दो-14-1-2009.—श्री डी. के. मिश्रा, अनुवादक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की नियुक्ति/पदोन्नति सहायक सम्पादक (आई. एल. आर.) के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 6500-200-10,500 (पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9,300-34800+ग्रेड पे रुपये 4200) में, अस्थायी एवं स्थानापन रुप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है, एवं उन्हें मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि यदि वे पदोन्नत पद एवं पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति प्रकरण पर आगामी एक वर्ष तक अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक जो भी पूर्व में हो तक विचार नहीं किया जावेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
जयन्त चव्हाण, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 2 जनवरी 2010

क्र. A-6-दो-2-30-2007.—श्री बी. पी. माहेश्वरी, प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इन्डौर खण्डपीठ, इन्डौर का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

(1) दिनांक 18 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2009 तक, पन्द्रह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

(2) दिनांक 23 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2009 तक दोनों दिन समिलित करते हुये नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. माहेश्वरी, प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इन्डौर खण्डपीठ, इन्डौर को इन्डौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. पी. माहेश्वरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार के पद कार्यरत रहते।

क्र. E-8-दो-2-115-06.—श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 17 नवम्बर, 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. E-10-दो-2-70-09.—श्री हरिशचन्द्र शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिंड को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून, 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर, 2007 से 7 दिसम्बर 2009 तक, 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. E-16-दो-2-12-2002.—श्री एच. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 7 से 12 दिसम्बर 2009 तक छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश, में से दिनांक 12 दिसम्बर 2009 का एक दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

क्र. E-18-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 26 दिसम्बर 2009 से 2 जनवरी 2010 तक दोनों दिन समिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2009 के एवं पश्चात् में दिनांक 3 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनःपदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद कार्यरत रहते।

क्र. E-25-दो-3-49-2003.—श्री राम हुजुर शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

(1) दिनांक 26 से 27 नवम्बर 2009 तक दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।

(2) दिनांक 26 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2009 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राम हुजुर शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम हुजूर शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. B-141-दो-2-71-09.—श्री एच. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 4 दिसम्बर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-143-दो-2-72-09.—श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-3-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 16 दिसम्बर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी, 2010

क्र. D 52-तीन-6-2-2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक 2 में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक-3 में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (2)	पदस्थापना का स्थान (3)	राजस्व जिला (4)
(1)			
1	श्री मनोज कुमार राठी	शाजापुर	शाजापुर
2	श्री हिमांशु शर्मा	शाजापुर	शाजापुर
3	कुमारी अर्पणा ठाकुर	शाजापुर	शाजापुर
4	श्री महेन्द्र पाल सिंह	शुजालपुर	शाजापुर
5	श्री रविकांत सोलंकी	आगर	शाजापुर
6	श्री मुकेश नाथ	आगर	शाजापुर
7	श्री के. के. वर्मा	सुसनेर	शाजापुर

क्र. D 54-तीन-6-6-64-भाग-तीन.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश श्री विवेक सक्सेना, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-1-2001-इक्कीस-बी(एक) दिनांक 23 मार्च, 2007 द्वारा इंदौर में स्थापित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय को विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिये नियुक्त करता है :—

अनुसूची

- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (क्रमांक 37 सन् 1954)
 - मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956)
- उक्त न्यायालय के पौटासीन अधिकारी का मुख्यालय इंदौर में रहेगा।

No. D-54-III-6-6-64-Pt-III.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Vivek Saxena, Judicial Magistrate First Class & I-Civil Judge Class-II, Indore, as the Special Magistrate of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established at Indore by the State Government vide Law & Legislative Affairs Department, Bhopal Notification No. F-1-1-2001-XXI-B-(1), dated 23rd March, 2007 for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in the schedule below :—

SCHEDULE

- The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Act No. 37 of 1954)
 - Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (Act No. 23 of 1956)
- The Head Quarter of the Presiding Officer of the said Court shall be at Indore.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2010

क्र. 6-स्था. सैट-2009.—श्रीमती महारूख जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 14 से 24 नवम्बर 2009 तक कुल ग्राहर दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती जिल्ला, अवकाश पर नहीं जाती तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं। अतः अवकाश अवधि दिनांक 14 नवम्बर से 24 नवम्बर 2009 तक मूलभूत नियम 26(ब) (2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेंगी।

ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 13 जनवरी 2010

प्र. क्र. 9-अ 82-2008-09—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	पटली	3.228	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चैन क्र. 180 के बांयी ओर बसेहरा वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.
			योग . .	3.228	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत बसेहरा वितरक नहर चैन क्र. 0 से 85 के बीच भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 10-अ 82-2008-09—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	बसेहरा	0.512	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चैन क्र. 180 के बांयी ओर बसेहरा वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.
			योग . .	0.512	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत बसेहरा वितरक नहर चैन क्र. 0 से 85 के बीच भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 11-अ 82-2008-09—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा अधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	चन्दला	12.405	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चैन क्र. 180 के दायीं ओर चन्दला वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.
योग . . .					<u>12.405</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चन्दला वितरक नहर चैन क्र. 0 से 155 के बीच भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ 82-2008-09—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	रमझाला	3.464	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चैन क्र. 180 के दायीं ओर चन्दला व बायीं और बसेहरा वितरक नहर बांझ ओर हेतु भू-अर्जन.
योग . . .					<u>3.464</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत बसेहरा वितरक नहर चैन क्र. 0 से 85 के बीच एवं चन्दला वितरक नहर चैन क्र. 0 से 155 के बीच भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ 82-2008-09—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा अधिकृत अधिकारी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
छत्तरपुर	लौड़ी	दुमखेड़ा	5.299	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चैन क्र. 38 के बायीं ओर दुमखेड़ा वितरक नहर क्र. 2 चैन क्र. 180 (L) बसेहरा वितरक, एवं चैन क्र. 180 (R) चंदला वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.	
		योग . .	<u>5.299</u>			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत दुमखेड़ा वितरक क्र. 2 चैन क्र. 0 से 58, बसेहरा वितरक नहर चैन क्र. 0 से 85 के बीच एवं चंदला वितरक नहर चैन क्र. 0 से 155 के बीच भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 24-अ 82-2008-09—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा अधिकृत अधिकारी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
छत्तरपुर	लौड़ी	भगोरा	1.315	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चैन क्र. 37 के बायीं ओर दुमखेड़ा वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.	
		योग . .	<u>1.315</u>			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत बसेहरा वितरक नहर चैन क्र. 0 से 85 के बीच भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-09-10-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	हुजूर	ग्राम सेवनिया गोड	ख. नं. 108 रकबा 1.00	मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विकास निगम, भोपाल.	पर्यटन स्थल निर्माण के लिये भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, नगरीय क्षेत्र भोपाल कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, एम. पी. नगर, वृत्त भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 2-अ-82-09-10-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	हुजूर	ग्राम सेवनिया गोड	ख. नं. 106/2/1 रकबा 0.30	मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विकास निगम, भोपाल.	पर्यटन स्थल निर्माण के लिये भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, नगरीय क्षेत्र भोपाल, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, एम. पी. नगर, वृत्त भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव शेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.